संख्या-17/2021/516/33-3-2021-62/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 01 मार्च, 2021**

विषय:- पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों के आरक्षण एवं आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-14/2021/333/33-3-2021-62/2020 दिनांक 12.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का आरक्षण चार्ट उपलब्ध कराते हुए समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित समय सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए उसकी प्रति सम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश ।

8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिला पंचायराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु शासनादेश संख्या- 17/2021/516/33-3-2021-62/2020 दिनांक 01 मार्च, 2021 का संलग्नक

क्र0सं0	कार्यवाही/गतिविधियाँ	अवधि
1	शासनादेश संख्या-12/2021/324/33-3-2021-62/ 2020 दिनांक-11 फरवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या-14/2021/333/33-3-2021-62/2020 दिनांक- 12 फरवरी, 2021 के अनुसार जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों का आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया जाना।	20.02.2021 से 01.03.2021
2	शासनादेश संख्या-12/2021/324/33-3-2021-62/ 2020 दिनांक-11 फरवरी, 2021 में उल्लिखित निर्दिष्टि स्थलों पर प्रमुख क्षेत्र पंचायत के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन।	02.03.2021 से 03.03.2021 तक
3	प्रस्ताव पर आपत्तियाँ प्राप्त किया जाना	04.03.2021 से 08.03.2021 तक
4	आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण।	09.03.2021
5	आपत्तियों का जनपद स्तर पर शासनादेश दिनांक 11.02.2021 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अंतिम रूप से सूची तैयार किया जाना।	10.03.2021 से 12.03.2021 तक
6	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित क्षेत्र पंचायत प्रमुख की अन्तिम सूची का प्रकाशन।	13.03.2021 से 14.03.2021 तक
7	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशक पंचायती राज एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आरक्षित व आवंटित क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का विवरण उपलब्ध कराया जाना।	15.03.2021

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।